न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 199/2018 **दायर दिनांकः 26/11/2018**

उनवान

1. राजेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र बलराम जाति मीणा निवासी अरण्याखेड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. शाखा प्रबन्धक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 19/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बिछालस तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 151 का ख0नं0 284 पूरब का रकबा 1.24 है0 तथा ख0नं0 284/499 पूरब का रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.54 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र बलराम दर्ज है। व वाद के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व ग्राम पंचायत कटावर के सरपंच द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र में वादी का नाम मुकेश कुमार दर्ज है। जिसकी छाया प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का बोलता नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज करवा दिया गया था जबकि वादी का वास्तविक नाम मुकेश कुमार वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित दस्तावेज में है। जो वादी का सही नाम है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का गलत नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज होने के कारण वादी अपनी आराजी का कृषि विकास कार्य नही करवा पा रहा है तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम राजेन्द्र सिंह के स्थान पर मुकेश कुमार दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का वास्तविक नाम मुकेश कुमार दर्ज नही किया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से

वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पावेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। अस्तु वादी प्रतिवादी क्रम 1 से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में राजेन्द्र सिंह के स्थान पर सही नाम मुकेश कुमार दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार दिनांक 16.10.2018 को नकल प्राप्त करने व अन्तिम बार दिनांक 20.10.2018 को कृषि पाईप का आवेदन करने पर गलत नाम के कारण आवेदन खारिज होने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। वादी ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई से कृषि ऋण ले रखा है इसलिए बैंक को प्रतिवादी क्रम 2 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल बिछालस तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है, जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है, वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय मे वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें:–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम राजेन्द्र सिंह के स्थान पर मुकेश कुमार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी क्रम 1 को दिये जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 2 से वादी द्वारा कोई रिलीफ नही चाही गई, नाम हटाया गया। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा कथन किया गया कि रिकार्ड के आधार पर सही नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है। रहन शाखा PNB कवाई से सहमति लिया जाना उचित होगा।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 के बयान लेखबद्ध किये तथा रिकार्ड पेश किया जो शा0फा0 किया रिकार्ड EXP करवाया गया। और साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये जाते है।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम मुकेश कुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। वादी द्वारा रहन PNB की राशि जमा करवाकर नोडूज पेश किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जमाबन्दी खाता संख्या बिछालस की खाता नं0 151 ख0नं0 284 पूरब रकबा 1.24 है0, ख0नं0 284/499 पूरब रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 वादी के खाते दर्ज है। जो रहन PNB कवाई दर्ज है। जिसमें वादी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र बलराम का नाम अंकित है। प्रस्तुत दस्तावेज, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन

आयोग का परिचय पत्र राशन कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत कटावर का प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, अनुसार मुकेश कुमार पुत्र बलराम दर्ज है। वादी द्वारा रहन PNB कवाई जमा करवाकर नोडूज पेश किया है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बिछालस की खाता संख्या 151 की ख0नं0 284 पूरब रकबा 1.24 है0 ख0नं0 284/499 पूरब रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 खातेदार राजेन्द्र सिंह पुत्र बलराम के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र बलराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 199/2018

उनवान

1. राजेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र बलराम जाति मीणा निवासी अरण्याखेड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. शाखा प्रबन्धक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बिछालस की खाता संख्या 151 की ख0नं0 284 पूरब रकबा 1.24 है0 ख0नं0 284/499 पूरब रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 खातेदार राजेन्द्र सिंह पुत्र बलराम के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र बलराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.31 14:52:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: